



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072021-228364  
CG-DL-E-19072021-228364

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]  
No. 399]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/आषाढ़ 28, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ASHADHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 497(अ).—केन्द्रीय सरकार जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् यह नियम कहा गया है), नियम 2 में खंड (झ) में, “निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्दों के स्थान पर “बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द रखे जाएंगे;

3. उक्त नियम के नियम 6 के, उप-नियम (7) में “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, “मुख्य अधिशासक” शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त नियम के नियम 11 के, उप-नियम (4) में “निगम” शब्द के स्थान पर, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 13 में “निगम” शब्द के स्थान पर, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा।
6. उक्त नियम के नियम 17 में “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, “मुख्य अधिशासक” शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं. I-13011/02/2021-बीमा.1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना की संख्या सा.का.नि. 818(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 813(अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2021

**G.S.R. 497(E).**—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions) Rules, 2009, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions) Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in clause (i), for the words “specified by the Corporation”, the words “specified by the Board” shall be substituted;

**3.** In rule 6 of the said rules, in sub-rule (7), for the word “Chairman”, the words “Chief Executive” shall be substituted.

**4.** In rule 11 of the said rules, in sub-rule (4), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

**5.** In rule 13 of the said rules, for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

**6.** In rule 17 of the said rules, for the word “Chairman”, the words “Chief Executive” shall be substituted.

[F. No. I-13011/02/2021-Ins. I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.818(E), dated the 12th November 2009 and subsequently amended *vide* number G.S.R.813(E), dated the 5th October 2010.